



कार्यालय उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून

ई-मेल: sbbuttarakhand@gmail.com

वेबसाइट : www.sbb.uk.gov.in

पत्रांक: 1310 / जै०वि०बो०- 16-4

423, इन्दिरा नगर कॉलोनी, देहरादून-248006

उत्तराखण्ड, (टेलीफैक्स - 0135-2769886)

दिनांक 16 फरवरी, 2018

कार्यालय आदेश

जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा-41(1) में प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक जैव विविधता प्रबन्ध समिति (Biodiversity Management Committee) के गठन का प्राविधान है तथा जैव विविधता अधिनियम-2002 की धारा 21 के अन्तर्गत जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से उद्भूत फायदों के साम्यपूर्ण विभाजन का प्राविधान है। वर्तमान में उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य में स्थित जैव विविधता आधारित विभिन्न उद्योगों के साथ ABS (Access & Benefit Sharing) हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। उद्योगों के साथ ABS हेतु अनुबंध हस्ताक्षर करने में वैधानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों की राय लिया जाना आवश्यक है। जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा एक **Expert Committee on ABS** का गठन निम्न अनुसार किया जाता है :-

1. श्री संजय उपाध्याय, Advocate, Supreme Court of India - अध्यक्ष
2. श्री राहुल दत्ता, Patent and Intellectual Property Attorney - सदस्य
3. डॉ० तबरेज अहमद, Commercial & Corporate Law Expert - सदस्य
4. श्री आनन्द सिंह रावत, Chartered Accountant, C/O M/S Sudarshand Sharma & Co - सदस्य
5. श्री विजय जडधारी, बीज बचाओ आन्दोलन - सदस्य
6. श्री राजेश मल्ल, अध्यक्ष, दुधई जैव विविधता प्रबन्ध समिति - सदस्य
7. श्रीमती गुड्डी देवी घिल्डियाल, अध्यक्ष, खोला जैव विविधता प्रबन्ध समिति - सदस्य

भवदीय

(एस०एस० रसाईली),

सदस्य-सचिव

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड,
देहरादून।

etc